तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 36 / 2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
19.12.2023	(see below)	

19.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या–5 को जारी नोटिस प्रार्थी पक्ष के खर्च पर मूल अपील के सम्मन के साथ पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया था वह पंजीकृत डाक लेने से इनकार (Refused) की रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। इस प्रकार, अप्रार्थी संख्या–5 को भी नोटिस की तामिल हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को तीन–तीन बार आवाजें लगवाई गई, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1से 5 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के वकील व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी अपीलार्थी को तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम रोवाडा, पटवार हल्का रोवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनांक 10.11.2021 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.9.2023 को हुई एवं जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जिसमें प्रार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे। पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी ने तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम रोवाडा, पटवार हल्का रोवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनांक 10.11.2021 के विरुद्ध दिनांक 09.10.2023 को अपील प्रस्तुत की है जो विलम्ब से पेश की है। प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.10.2023 को होना बताया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान व साबित होने से स्वीकार किया ग्राम रोवाडा, पटवार हल्का रोवाडा के तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनांक 10.11.2021 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19 [illegible] 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:07 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर [illegible]ई)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते